8.2 अभ्यर्थी की उम्र ''मैट्रिक अथवा समकक्ष'' परीक्षा के प्रमाण–पत्र के अनुसार निम्नवत् होगी :–

(1) सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के पुरूषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 23 (तेईस) वर्ष।

(2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 25 (पच्चीस) वर्ष।

(3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति वर्ग के पुरूषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 28 (अठाईस) वर्ष।

(4) बिहार सरकार में कार्यरत ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो एवं जो इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना चाहें, उनके लिए ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम पाँच (05) वर्षों की छूट दी जायेगी।

(5) सभी वर्गों (आरक्षित/अनारक्षित) के लिए दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जायेगी।

(6) अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जायेगी।

8.3 अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदण्ड –

(क) पुरूष अभ्यर्थी –

क्रमांक	शारीरिक प्रमाप	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	अन्य
1.	न्यूनतम ऊँचाई	160 सेंटीमीटर	165 सेंटीमीटर
2.	न्यूनतम सीना (बिना फुलाए)	79 सेंटीमीटर	81 सेंटीमीटर
3.	सीना का न्यूनतम फुलाव	05 सेंटीमीटर	05 सेंटीमीटर
4.	पैदल चलने की क्षमता	04 घंटे में 25 किलोमीटर	04 घंटे में 25 किलोमीटर

(ख) महिला अभ्यर्थी –

क्रमांक	शारीरिक प्रमाप	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	अन्य
1.	न्यूनतम ऊँचाई	155 सेंटीमीटर	160 सेंटीमीटर
2.	पैदल चलने की क्षमता	04 घंटे में 14 किलोमीटर	04 घंटे में 14 किलोमीटर

9. <u>चयन की प्रक्रिया</u>–

(क) प्रथम चरण – 'लिखित परीक्षा' – (i) आवेदन–पत्रों के संग्रहण के उपरान्त, आवेदन–पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र सही पाये जायेंगे, उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा में एक प्रश्न–पत्र जिसमें 100 (एक सौ) वस्तुपरक (बहुविकल्पीय प्रश्न) प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रश्न–पत्र के लिए 02 (दो) घंटों की अवधि दी जायेगी। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इण्टरमीडिएट (10+2) स्तर का होगा। गणित एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्न मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर के होंगे। हिन्दी भाषा का ज्ञान छोड़ कर, प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में तैयार किये जायेंगे।

(ii) <u>प्रश्न–पत्र</u> – दो घंटों के एक प्रश्न–पत्र में चार भाग में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए चार (04) अंक देय होगा। भाग–1 में 30 प्रश्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, भूगोल, भारतीय राज्यतन्त्र और शासन एवं आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे। भाग–2 में 25 प्रश्न दसवीं कक्षा स्तर के आधारभूत संख्ययन, आंकड़ों का निर्वचन, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे। भाग–3 में 25 प्रश्न सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव–विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे। भाग–4 में 20 प्रश्न हिन्दी भाषा का ज्ञान से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे। भाग–4 का उद्देश्य हिन्दी भाषा में अपने विचारों को सही रूप में प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने की योग्यता की परीक्षा करना है।

(iii) <u>पाठ्यक्रम</u> – लिखित परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम पर्षद की वेबसाइट पर Syllabus शीर्ष के अन्दर Syllabus for Adv. 01/2019 टैब पर देखा जा सकता है तथा वहाँ से Download किया जा सकता है ।

(iv) <u>ऋणात्मक अंकन (Negative Marking)</u> – उम्मीदवारों द्वारा सभी गलत उत्तरों के लिए निम्न प्रकार ऋणात्मक अंक दिये जायेंगे :

(क) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न हेतु दिये जाने वाले अंकों का एक तिहाई दंड के रूप में काटा जायेगा।

(ख) यदि उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जायेगा, चाहे दिये गये उत्तरों में से एक ठीक ही क्यों न हो और प्रश्न के लिए क्रमांक (क) के अनुसार ही दण्ड होगा।

(ग) यदि, प्रश्न को खाली छोड़ दिया गया है अर्थात उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(v) <u>ओ0एम0आर (OMR) शीट</u> :– लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी ओ0एम0आर (OMR) आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं (यथा–रौल नम्बर, प्रश्न पुस्तिका नम्बर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर) की प्रविष्टि दिये गये आवश्यक निर्देशों/अनुदेशों के अनुसार करेंगे। उत्तर पुस्तिका (OMR) पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि करने की स्थिति में अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जायेगी एवं उनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा, इसके लिए पर्षद जिम्मेवार नहीं होगा।